संख्या-2/2019/138/अस्सी-2-2019-400(10)/2010

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ0प्र0,
किसान मण्डी भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 18 अप्रैल, 2019

विषयः- निदेशक, कृषि विपणन के पद का उच्चीकरण।

महोदय,

शासनादेश संख्या-3308/12-8-133/75, दिनांक 14 जुलाई, 1976 के द्वारा कृषि विपणन निदेशालय के लिये आई0ए0एस0 के सीनियर स्केल में कृषि विपणन निदेशक के अस्थायी पद की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी थी कि कृषि विभाग के संयुक्त सचिव के पद धारक मण्डी निदेशक एवं मण्डी परिषद के सचिव के पद भार सम्भालने के साथ-साथ कृषि विपणन निदेशालय के निदेशक के पद भार को सम्भालते रहेंगे तथा इस निदेशालय के लिए किसी अधिकारी/कर्मचारी का अतिरिक्त पद स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

2- श्री राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम 2018 में वर्णित धारा 2 (ज-1) के प्राविधानो के अनुसार उक्त शासनादेश दिनांक 14 जुलाई, 1976 के द्वारा कृषि विपणन निदेशालय के लिये आई0ए0एस0 के सीनियर स्केल में सृजित किये गये कृषि विपणन निदेशक के पद को कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय हेतु निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार के आई0ए0एस0 के जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100+ग्रेड वेतन रू0 7600) में उच्चीकृत करते हुये उस पर एक स्वतन्त्र अधिकारी की तैनाती किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0-यू0ओ0-ई-1-305/दस-2019 दिनांक 08 अप्रैल, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव।

संख्या-2/2019/138(1)/अस्सी-2-2019 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
2- अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार के उक्त पद को आई0ए0एस0 कैडर स्ट्रेन्थ में सम्मिलित करते हुये उक्त पद पर तत्काल तैनाती करने का कष्ट करें।
3- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4- निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1/ वित्त (वेतन-आयोग)अनुभाग-2
6- सचिव, कृषि मंत्रालय, कृषि विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

समर बहादुर
अनु, सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in